रजिस्टर्ड नं० एल० [illegible]

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, रविवार, 2 सितम्बर, 1973

भाद्रपद 11, 1895 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2977/सत्रह-वि०—1-172-72

लखनऊ, 2 सितम्बर, 1973

विज्ञप्ति

विविध

दिनांक 2 सितम्बर, 1973 को अधिनियमित निम्नलिखित राष्ट्रपति अधिनियम को सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :—

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 1973

(राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 14, 1973)

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 1973 है।

(2) यह 12 जून, 1973 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 की धारा 3 में खण्ड (न) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(प) राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद,

(फ) राज्य सरकार के पंचायती राज (2) विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं० 4519-बी/33-111-71, तारीख 13 दिसम्बर, 1971 द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष या सदस्य का पद,

(ब) राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा नियुक्त राजस्व न्यायिक पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य का पद,

(भ) निम्नलिखित कानूनी निकायों में से प्रत्येक के अध्यक्ष या सदस्य (चाहे वह निदेशक या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) का पद, अर्थात् :—

(1) उत्तर प्रदेश स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन।
(2) उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन।
(3) उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन।
(4) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्।

(म) निम्नलिखित अकानूनी निकायों में से प्रत्येक के अध्यक्ष या सदस्य (चाहे वह निदेशक या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) का पद, अर्थात्:—

(1) उत्तर प्रदेश स्टेट स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड।
(2) उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड।
(3) उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड।
(4) उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड।
(5) उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड।
(6) उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड।
(7) उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिजेज कारपोरेशन लिमिटेड।
(8) उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन।
(9) हिल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड।
(10) प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड।
(11) इंडियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड।
(12) उत्तर प्रदेश स्टेट हैन्डलूम कारपोरेशन।
(13) पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड।
(14) बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड।

(य) उत्तर प्रदेश में वक्फों के सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड या शिया सेन्ट्रल बोर्ड के, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य या नियंत्रक, यदि कोई हो, का पद।"

निरसन

3—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 1973 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। 1973 उत्तर अध्या

वराहगिरि वेंकटगिरि,
राष्ट्रपति।

के० के० सुन्दरम्,
सचिव, भारत सरकार।

U. P. 15 of

अधिनियमन के कारण

उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने तारीख 13 दिसम्बर, 1971 के पंचायती राज (2) विभाग के ओ० एम० सं० 4519—बी०/33-111-71 द्वारा एक समिति नियुक्त की। इस समिति का अध्यक्ष विधान सभा का सदस्य था। इस समिति का अध्यक्ष उन्हीं सब सुविधाओं और उपलब्धियों का हकदार था जो राज्य में मंत्री को उपलब्ध होती हैं। संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (क) के साथ पठित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अनुसार, अध्यक्ष उस पद को धारण करने के कारण राज्य विधान मण्डल की सदस्यता से अनर्हित हो जाता क्योंकि यह सरकार के अधीन पद था और इसके साथ लाभ भी था। अतएव राज्य सरकार ने यह निश्चय किया कि इस पद को विधान मण्डल द्वारा ऐसा पद घोषित कर देना चाहिए जिसके धारण करने से धारक संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (क) के अधीन विधान मण्डल के सदस्य निर्वाचित होने या बने रहने से अनर्हित नहीं होगा। इसी अवसर का लाभ उठाकर राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन अन्य कानूनी और अकानूनी निगमों और कम्पनियों के कुछ पदों को पदों की उस सूची में सम्मिलित कर लिया गया जिसके अन्तर्गत आने वाले पदों को ऐसी अनर्हता से छूट थी।

2—राज्य के विधान मण्डल का सत्र नहीं चल रहा था और तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक समझा गया, अतएव उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने 12 जून, 1973 को उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 1973 प्रख्यापित किया जिसमें उक्त प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 के संशोधन का उपबन्ध किया गया ।

3—प्रस्थापित विधेयक उक्त अध्यादेश का स्थान ग्रहण करने के लिए है।

4—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1973 (1973 का 33) की धारा 3 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन गठित समिति से इस विधान को राष्ट्रपति के अधिनियम के रूप में अधिनियमित करने के पहले परामर्श कर लिया गया है।

के० के० सुन्दरम्,
सचिव, भारत सरकार,
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय,
(विधायी विभाग)

No. 2977 (2) /XVII-V–1/172-72

THE following President's Act, enacted on September 2, 1973, is published for general information :

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) (AMENDMENT) ACT, 1973

(PRESIDENT'S ACT NO. 14 OF 1973)

Enacted by the President in the twenty-fourth year of the Republic of India

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971

1973 उत्तर अध्यादेश

IN exercise of the powers conferred by section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1973, the President is pleased to enact as follows :

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Act, 1973.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 12th day of June, 1973.

U.P. Act 5 of 1971

Amendment of section 3.

2. In section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971, *after* clause (*t*), the following clauses shall be *inserted*, namely—

"(*u*) the office of Chairman, Deputy Chairman or a member of the State Planning Commission,

(*v*) the office of the Chairman or a member of the Committee appointed by the State Government by Office Memorandum No. 4519-B/33–111-71, dated December 13, 1971, of the Panchayati Raj (2) Department of the State Government,

(*w*) the office of the Chairman or a member of the Revenue Judiciary Reorganization Committee appointed by the Revenue Department of the State Government,

(*x*) the office of the Chairman or member (whether called Director or by any other name) of each of the following statutory bodies, namely—

(1) Uttar Pradesh State Financial Corporation.

(2) Uttar Pradesh State Road Transport Corporation.

(3) Uttar Pradesh State Warehousing Corporation.

(4) Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad.

(y) the office of the Chairman or member (whether called Director or by any other name) of each of the following non-statutory bodies, namely—

(1) Uttar Pradesh State Small Industries Corporation Ltd.
(2) Uttar Pradesh State Agro-Industrial Corporation Ltd.
(3) Uttar Pradesh Cement Corporation Ltd.
(4) Uttar Pradesh State Industrial Corporation Ltd.
(5) Uttar Pradesh State Sugar Corporation Ltd.
(6) Uttar Pradesh State Textile Corporation Ltd.
(7) Uttar Pradesh State Bridges Corporation Ltd.
(8) Uttar Pradesh Export Corporation.
(9) Hill Development Corporation, Ltd.
(10) Pradeshiya Industrial and Investment Corporation of Uttar Pradesh Ltd.
(11) Indian Turpentine and Rosin Company Ltd.
(12) Uttar Pradesh State Handloom Corporation.
(13) Poorvanchal Vikas Nigam, Ltd.
(14) Bundelkhand Vikas Nigam, Ltd.

(z) the office of Chairman or a member, or, as the case may be, of the Controller, if any, of the Sunni Central Board or Shia Central Board of Waqfs in Uttar Pradesh."

Repeal

3. The U. P. State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Ordinance, 1973, is hereby repealed. U.P. Ordinance 1973.

V. V. GIRI,
President.

K. K. SUNDARAM,
Secretary to the Government of India.

REASONS FOR THE ENACTMENT

The Government of the State of Uttar Pradesh by O. M. No. 4519-B/33—111-71, dated December 13, 1971, of the Panchayati Raj (2) Department appointed a Committee. The Chairman of that Committee was a member of the Legistive Assembly. The Chairman of that Committee was intitled to get the emoluments and facilities as available to a Minister in the State. According to the provisions of the U. P. State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971, read with Article 191 (1) (*a*) of the Constitution, he would have been disqualified from membership of the Legislature by reason of his holding the office of Chairman which was an office under the Government and to which profit was so attached. It was, therefore, decided by the State Government that this office should be declared by the Legislature to be an office holding of which shall not disqualify the holder from being chosen as or from being member of the Legislature under Article 191 (1) (*a*) of the Constitution. The occasion was also availed of so as to include certain offices of other statutory and non-statutory corporations and companies owned or controlled by the State Government to the list of offices which were to be exempt from such disqualification.

2. As the State Legislature was not in session and immediate action was considered necessary, the Governor of Uttar Pradesh promulgated on 12th June, 1973 the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Ordinance, 1973, which provides for amendment of the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971 for the above purpose.

3. The proposed measure seeks to replace the said Ordinance.

4. The Committee constituted under the proviso to sub-section (2) of section 3 of the U. P. State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1973 (33 of 1973), has been consulted before the enactment of this measure as a Prsident's Act.

K. K. SUNDARAM,
Secretary to the Government of India,
Ministry of Law, Justice and Company Affairs
(Legislative Department).

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव ।

U. P. Ordinance 4 of 1973.

पं०एस०यू०पी०--ए पी०--169 गजट (हिन्दी)--1973--2,050+150 (मे०)।